लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3999

25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उद्योग का पुनरुद्धार करने हेतु नीति

3999. श्री अरुण गोविल:

श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री भोजराज नाग:

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रेशम उद्योग का पुनरुद्धार करने, उसे बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए कौन सी नीतिगत पहल कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने देश में रेशम क्षेत्र के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये के परिव्यय से सिल्क समग्र-2 योजना को लागू कर रही है।

इस योजना के तहत, राज्यों को विभिन्न लाभार्थी उन्मुख क्षेत्र स्तरीय महत्वपूर्ण पहलों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसान नर्सरी की स्थापना, रेशमकीट पालन पैकेज (वृक्षारोपण, सिंचाई, रियरींग हाउस, रियरींग उपकरण और प्रोफइलेक्टिक उपायों के लिए सहायता शामिल है), प्री-कोकून क्षेत्र में चॉकी रियरींग केंद्रों की स्थापना, रेशमकीट बीज क्षेत्र के लिए सहायता और अवसंरचना के लिए पहलें, रेशम रीलिंग, स्पिनिंग, वीविंग, पोस्ट कोकून क्षेत्र के लिए प्रोसेसिंग घटक शामिल हैं।

अब तक, सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत लगभग 78,000 लाभार्थियों को कवर करने के लिए राज्यों को 1,075.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई हैं, जिसका उद्देश्य रेशम उत्पादन क्षेत्र के विकास और सस्टेनेबिलिटी के लिए प्री और पोस्ट कोकून गतिविधियों/मशीनों को कवर करने वाले लाभार्थी-उन्मुख घटकों का कार्यान्वयन करना है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के माध्यम से रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेशम के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार किया गया है।

***